

समाहरणालय, मधेपुरा
(पंचायत कार्यालय)

-:आदेश:-

संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या-18(आ0), दिनांक 29.07.2015 द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-04, दिनांक 05.07.2016 के क्रम में "योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद अंतर्गत "3106-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा" इकाई के अन्तर्गत ग्राम कचहरी जिन्हें भवन नहीं है, को प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 1000.00(एक हजार रु0) प्रतिमाह की दर से विभाग द्वारा अधिसूचित कुल 54(चौब्वन) ग्राम कचहरी के किराया भवनों के लिए प्राप्त कुल राशि मो0 648000.00(छह लाख अड़तालीस हजार) रुपये मात्र को जिला के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए व्यय करने हेतु निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	किराये पर लिए गये भवनों की संख्या	1000.00(एक हजार) रुपये की दर से 12 (बारह) माह का कुल राशि	अभ्युक्ति
1	घैलाढ़	3	36000.00	
2	सिंहेश्वर	1	12000.00	
3	शंकरपुर	7	84000.00	
4	गम्हरिया	3	36000.00	
5	मुरलीगंज	8	96000.00	
6	कुमारखंड	5	60000.00	
7	ग्वालपाड़ा	7	84000.00	
8	बिहारीगंज	4	48000.00	
9	पुरैनी	4	48000.00	
10	उदाकिशुनगंज	10	120000.00	
11	आलमनगर	2	24000.00	
	कुल योग:-	54	648000.00	

मो0 (छह लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र)।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं 423, दिनांक- 31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. ग्राम कचहरी भवन किराया के संबंध में निम्न विभागीय दिशा-निर्देश का पालन करना सुनिश्चित किया जाये:-

(क) किराया पर लिये जाने वाले भवन का अधिकतम किराया मो0 1000.00(एक हजार)रु0 मात्र प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

(ख) पूर्व में मो0 500.00(पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह किराये पर लिये गये ग्राम कचहरी भवनों के मामले में पुनरीक्षित किराया दर निर्धारित होने पर ही अधिकतम किराया मो0 1000.00(एक हजार)रु0 मात्र प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

(ग) किराये पर भवन में कम से कम कचहरी हेतु परिसर सहित कमरा/ भवन जिसका न्यूनतम कारपेट एरिया 800 वर्गफीट हो।

(घ) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच/ उपसरपंच/ पंच की सम्पत्ति से संबंधित नहीं हो।

(ङ.) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के क्षेत्र के अंतर्गत एवं संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय के ग्राम में अवस्थित हो।

(च) ग्राम कचहरी हेतु किराये के भवन का चयन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच के परामर्श से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन/ सम्पुष्टि के पश्चात् एकरारनाम के द्वारा किया जायेगा।

3. उपावंटित राशि सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा निकासी कर ग्राम कचहरी के खाते में जमा किया जायेगा एवं राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/ उपसरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच-पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर शीर्ष आदि, ईकाइयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मेनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-पी0 2515008000112 है।

50/
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक..... 04...../पं0, मधेपुरा, दिनांक...06.../.....01.../2017

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल तथा मधेपुरा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।
06/01/17

18-10

156

82869

वरिय प्रभारी पदाधिकारी

शाखा... पंचायत



संख्या एम-आ-2-07/2016 दिनांक 30/07/2016

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्रीरंज प्रसाद साह,

उपसुक्त सावेब

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 30/07/2016

विषय - विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 दिनांक 05.07.2016 द्वारा स्वीकृत
₹4,19,79,259.00 (चार करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ
रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

संशय,

उपसुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04
दिनांक 05.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार ग्राम
कचहरीको जिन्हें भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रुपये)
मात्र प्रतिमाह की दर से किराया भवन उपलब्ध कराने हेतु ₹4,19,79,259.00 (चार करोड़ उन्नीस
लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

727
30/7/16

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल
₹4,19,79,259.00 (चार करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र की राशि
आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 दिनांक 17
अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016
तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7/8

4. इस राशि की निकासी "योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास
कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के
विभिन्न मदों हेतु" मद अंतर्गत "3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के आलावा" इकाई से
वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज
पदाधिकारी द्वारा जो राशि की निकासी विहार कोषागार साधित 2011 के सूर्योदय विभाग के
आदेशों में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विवरणों को मुख्य
ग्राम विकास शीर्ष-अनुशीर्ष/ग्रामांगिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कार्य प्रदर्शन कांड

S.P.

एक नाम से ही अनियमित रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा
सौधाराण समुचित ढंग से हो सक।

6 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि
कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निकासी एवं व्यय
पदाधिकारी की होगी।

7 इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी
की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी
अनियमित नहीं हो।

8 वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखा में निहित प्रावधानों
तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक
रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

9 इस आवंटन आदेश को सभी वृष्ट संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित
है।

10 आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11 इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या P 2515008000112 है।

12 इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी
दी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

विश्वारामाजन

(Signature)

28-7-2016

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

आपांक 84/आ०-2-07/2016/...18/30/प०रा०

पटना दिनांक 29/07/2016

प्रतिरालिपि - महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / सभी संबंधित कार्यालय
पदाधिकारी / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / प्रशाखा 5 एवं 8 / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज
विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

(Signature)

28/7/2016

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

30

